

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा वन प्रभाग, ओबरा-सोनभद्र ।
पत्रांक-506 /ओबरा/15 भू.रू. दिनांक-23-7 2015.

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र,
मीरजापुर ।

विषय:- जनपद सोनभद्र में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र विकास योजनान्तर्गत स्वीकृत कनहरा से पूरबटोला सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.30हे0 आरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- उ0प्र0 शासन का पत्र संख्या पी 7/14-2-2015-800(66)/2015 दिनांक-08.07.2015, जो आन लाईन आपत्ति लगाई गयी थी।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में उ0प्र0 शासन के सन्दर्भित पत्र द्वारा दो बिन्दुओं पर लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण निम्नानुसार कर दिया गया है:-

1. वन अधिकार अधिनियम 2006 (एफ0आर0ए0) से सम्बन्धित जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र की मूल प्रति इस कार्यालय का पत्रांक-268/ओबरा/33 वन्दो0 दिनांक-13.07.2015 द्वारा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ को प्रेषित किया जा चुका है।
2. प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 53, 54, 55 पर संलग्न प्रमाण पत्र पर प्रस्तावक विभाग द्वारा दिनांक -15.07.2015 को मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ तथा विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 53, 54, 55 पर संलग्न प्रमाण पत्र पत्र मोहर लगा दिया गया है।

अतः रिपोर्ट सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय

(राम अवतार सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी

ओबरा वन प्रभाग, ओबरा-सोनभद्र ।